भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2806

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः- कृषि संबंधी पर्यटन गतिविधियों के लिए योजनाएं

2806. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में कृषि-संबंधी पर्यटन गतिविधियों के लिए कितनी योजनाएं उपलब्ध हैं;

(ख) क्या मूल्यवर्धित कृषि सेवा के रूप में किसानों के कल्याण के एक भाग के रूप में कोई अन्तर्क्रियात्मक विकास किया गया है:

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर)

(क) से (घ): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, 'कृषि संबंधी पर्यटन गतिविधियों' के लिए कोई योजना नहीं चला रही है। हालांकि, ग्रामीण पर्यटन सहित पर्यटन स्थलों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) प्रशासन द्वारा किया जाता है। पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद)' और 'पर्यटन इनफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' के माध्यम से राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर देश में पर्यटन इनफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रयासों को पूरा करता है। ग्रामीण सर्किट को स्वदेश दर्शन योजना के तहत विषयगत सर्किटों में से एक के रूप में चिन्हित किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने गंतव्य और पर्यटक-केंद्रित दृष्टिकोण का पालन करते हुए सस्टेनेबल और रेस्पोंसिबल पर्यटन स्थलों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में नया रूप दिया है।

पर्यटन मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास और ग्रामीण होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति भी तैयार की है।"

****